


नीलामी सूचना :-

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 (दिनांक 08.08.2018 से 31.03.2019 तक के लिए) जनपद न्यायालय परिसर के भीतर, फोटो/फोटोस्टेट व बीटल शाप नं-03 के ठेकों की नीलामी दिनांक 07.08.2018 को अपराह्न 02:00 बजे श्री आर०पी० सिंह, अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश, एफ०टी०सी० कक्ष संख्या-1, गोण्डा/अध्यक्ष नीलामी समिति, के समक्ष मीटिंग हाल में की जायेगी। इस हेतु इच्छुक व्यक्तियों से सीलबन्द निविदाएं दिनांक 06.08.2018 सायं 4:00 बजे तक आमंत्रित की जाती हैं। नीलामी की कार्यवाही की सामान्य शर्तें निम्नलिखित होंगी:-


1. जनपद न्यायालय गोण्डा परिसर में स्थित बीटल शाप नं-03 की वित्तीय वर्ष 2018-19 के अवशेष 8 माहों हेतु नीलामी की न्यूनतम आरक्षित धनराशि रुपये 110400 नियत की गई है तथा फोटो/फोटोस्टेट दुकान की वित्तीय वर्ष 2018-19 के अवशेष 8 माहों हेतु नीलामी की न्यूनतम आरक्षित धनराशि रुपये 250000 नियत की गई है जिसके सम्बन्ध में सील बन्द निविदाएं आमंत्रित की जाती है।
2. प्रत्येक निविदाकर्ता को अनिवार्य होगा कि वह अपने निविदा पर स्थिर रहे तथा अपने निविदा के अनुरूप अपने-अपने हैसियत प्रमाण पत्र सम्बन्धित तहसीलदार से प्रमाणित करवाकर प्रस्तुत करे। यह प्रमाण पत्र निविदा के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
3. सील बन्द निविदा के साथ उसे फोटो/फोटो स्टेट की दूकान हेतु बीस हजार रुपये तथा बीटल शाप की दूकान के लिए दस हजार रुपये जमानत के रूप में जमा करना होगा। बिना जमानत राशि जमा किये हुए कोई व्यक्ति निविदा प्रस्तुत करने का पात्र नहीं होगा। चाहे वह हैसियत प्रमाण पत्र ही क्यों न प्रस्तुत करें।
4. निविदा अन्तिम रूप से स्वीकार होने की दशा में उसकी निविदा की धनराशि का 25 प्रतिशत निविदा स्वीकृत होने के पश्चात् एक सप्ताह के भीतर जमा करना होगा। निविदा अन्तिम रूप से स्वीकार होने की दशा में सम्बन्धित ठेकेदार को 100 रुपये के स्टाम्प पर निर्धारित प्रारूप पर अनुबन्ध भी करना होगा। यदि अन्तिम रूप से स्वीकृत निविदा का 25 प्रतिशत धनराशि ठेकेदार द्वारा स्वीकृति के एक सप्ताह के अन्दर जमा नहीं की जायेगी तो जमानत की धनराशि जब्त कर ली जायेगी और निविदा पुनः आमंत्रित की जायेगी।
5. किसी भी निविदा को बिना कारण बताये स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार जनपद न्यायाधीश महोदय, गोण्डा को होगा।
6. प्रत्येक निविदाकर्ता जिसकी निविदा अन्तिम रूप से स्वीकृत होगी वह अपनी दूकान जनपद न्यायालय परिसर की सीमा के अन्तर्गत निर्दिष्ट स्थान पर लगायेगा। किसी ठेकेदार को स्वीकृत दूकान के अतिरिक्त अन्य दूकान खोलने का कोई अधिकार नहीं होगा तथा अपनी दूकान की सुरक्षा का उत्तरदायित्व उसका स्वयं का होगा।
7. स्वीकृत दूकान पर दूकानदार स्वयं बैठकर दूकान का संचालन करेगा। यदि दूकानदार अपनी दूकान अन्य व्यक्ति से संचालित कराता है तो उसे उस व्यक्ति के नियुक्ति के उपरान्त उससे दूकान संचालित कराये जाने के पूर्व उसका नाम पता कार्यालय में अवगत कराना आवश्यक होगा।
8. कोई ठेकेदार अथवा उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति जनपद न्यायालय परिसर में सायं 7-00 बजे से प्रातः 9-00 बजे के मध्य नहीं रुकेगा।
9. जनपद न्यायालय परिसर में जनपद न्यायाधीश महोदय के पूर्व अनुमति के बिना कोई ठेकेदार अथवा कोई व्यक्ति किसी प्रकार की कोई दूकान नहीं लगायेगा।
10. जिस व्यक्ति के जिम्मे पूर्व से नीलामी का धनराशि बकाया होगा उसको निविदा प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
11. बीटल शाप पर माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय, प्रभारी अधिकारी नजारात अथवा केन्द्रीय नाजिर द्वारा अधिकृत कोई कर्मचारी समय-समय पर खाद्य सामग्री का परीक्षण कर सकेंगे। विपरीत परिस्थितियोंवश ठेका तत्काल निरस्त किया जा सकता है।
11. किसी भी तरह के विवाद का क्षेत्र जनपद न्यायालय गोण्डा होगा।


(रविशंकर गुप्ता)

सदस्य, नीलामी समिति,
न्यायिक मजिस्ट्रेट-द्वितीय, गोण्डा।


(रविशंकर सिंह)

सदस्य, नीलामी समिति,
सिविल जज (सी०डी०), गोण्डा।


(आर०पी० सिंह), 247110

अध्यक्ष, नीलामी समिति,
अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/
एफ०टी०सी०, कक्ष सं०-1, गोण्डा।

दुकानों का विवरण

नीलामी का दिनांक 07-08-2018

1. बीटल शाप नं-03 होटल सं०-3 के बगल।
2. फोटो/फोटो स्टेट दूकान मेन ब्लॉक के पीछे।

कार्यालय नजारात अनुभाग, जनपद न्यायालय, गोण्डा।


नीलामी दिनांक 07-08-2018

संख्या 133/नाजिर दिनांक 28.7.2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं व्यापक प्रचार प्रसार हेतु :-

1. माननीय जनपद न्यायाधीश, गोण्डा के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
2. जिलाधिकारी, गोण्डा।
3. पुलिस अधीक्षक, गोण्डा।
4. जिला सूचना अधिकारी, गोण्डा।
5. नगर पालिका परिषद, गोण्डा।
6. जिला परिषद, गोण्डा।
7. मोडल आफिसर कम्प्यूटर को माननीय उच्च न्यायालय के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

आज्ञा से,



केन्द्रीय नाजिर,
जनपद न्यायालय, गोण्डा।